अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	1	

06
07-07-2023

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 50 / 2022–23

राज्य

बनाम

मो० जाहिद पिता मो0 शाहिद निवासी– हिन्दपीढी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची (झारखण्ड) .....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 487 / डी०सी०बी० दिनांक 09.05.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मो० जाहिद पिता मो0 शाहिद निवासी– हिन्दपीढी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1) (b)(1)) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित है:–

1. हिन्दपीढ़ी थाना काण्ड सं0–11 / 17 दिनांक–09.02.2017 धारा 302 / 201 / 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
2. हिन्दपीढ़ी थाना काण्ड सं0–12 / 17 दिनांक 11.02.2017 धारा–25 (1–बी)ए०, 26 / 35 आर्म्स एक्ट।
3. हिन्दपीढ़ी थाना सनहा सं0–31 / 23 दि0–21.04.2023
4. हिन्दपीढ़ी थाना सनहा सं0–21 / 23 दि0–23.04.2023
5. हिन्दपीढ़ी थाना सनहा सं0–13 / 23 दि0–26.04.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–980 / उपा० दिनांक 30.04.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी मो० जाहिद पिता मो0 शाहिद

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

निवासी– हिन्दपीढ़ी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची अपने तथा अपने सहयोगियों के साथ आये दिन धमकी, रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देना है ये तथा इनके गुर्गो द्वारा आये दिन कही न कही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये हाल में ही जमानत पर मुक्त हुए है। इनके तथा इनके सहयोगियों के द्वारा राँची तथा आसपास के इलाको में रंगदारी एंव धमकी दी जा रही है। ये एक पेशेवर अपराधी है। इनके विरुद्ध कई कांड एवं सन्हा दर्ज है। इनके अपराधिक गतिविधि से लोगो के बीच भय का वातावरण है, जिससे समाज में अशांति है। इनकी आपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच आतंक, भय एव दहशत का महौल व्याप्त है, जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1) (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार – विपक्षी को झुठे मामले मे फंसाया गया है। विपक्षी एक अनपढ़ मजदुर है। वे मजदुरी कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। उनके परिवार मे उनकी पत्नी के अलावे 2 पुत्र एवं 4 पुत्रिया है, जिनमे से 3 पुत्रियों की शादी हो चुकी है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षी को असमाजिक तत्व घोषित किया जाना गलत है। विपक्षी के खिलाफ उपरोक्त मुकदमा उन्हे परेशान करने की नियति से पुलिस द्वारा उक्त वाद के सूचक के साथ मिलकर गलत आधार पर दायर किया है। प्रार्थी द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन मे ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नही किया गया है, जिससे यह साबित हो कि उनके द्वारा शान्ति भंग करने की संभावना है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है, जिनका पेशा अपने सहयोगियों के साथ आये दिन धमकी, रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देना है। ये एक

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

शातीर आद्यतन असमाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा सिर्फ अपने बचाव मे दिया गया है, जो संतोषप्रद नही है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी मो० जाहिद पिता मो0 शाहिद निवासी–हिन्दपीढी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मो० जाहिद पिता मो0 शाहिद निवासी– हिन्दपीढी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची को दिनांक 14.07.2023 से दिनांक 13.10.2023 तक की अवधि के लिए हिन्दपीढी थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत् उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, कोतवाली थाना रॉची के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 13.07.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 14.07.2023 से दिनांक 13.10.2023 तक प्रत्येक दिन हिन्दपीढ़ी थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी मो० जाहिद पिता मो0 शाहिद निवासी– हिन्दपीढी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मो० जाहिद पिता

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	मो0 शाहिद निवासी–हिन्दपीढ़ी, मोती मस्जिद, थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी राँची जिला दण्डाधिकारी राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.31 20:51:32 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:20ad:86e:3f57:d4b9